

भारतीय नैऋत्यायिक INDIA NON JUDICIAL



UTTAR PRADESH

A 880526

की परिधि में कृषि हो रही है जो शत्रु, नरुल, चर्च, व ऊर, एवं सीलिंग की सम्मलित नहीं है । विक्रेता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य नहीं हैं, विक्रेता एवं क्रेता भारतीय नागरिक हैं शांसनादेश संख्या 2756/11-2000=500/07 दिनांक 30 जून सन् 2008 के अनुसार रूटा भू अदा किया गया है ।

Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



Handwritten signature



पढ़ने वाला
बिधान करने वाला.....